

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूलीवर्षिणी
दूरभाष : 0091-751-2341896,
2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स
0091-751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2010/ 2028 -A

दिनांक: 15/07/10

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय।

विषय :- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्टाफ की नियुक्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05 मई, 2010 के पद क्रमांक 31(अ-अ-1) पर लिये गये निर्णयानुसार जिन महाविद्यालयों में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत अपने महाविद्यालय में नियुक्तियाँ नहीं की हैं उनके सम्बन्ध में विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं।

1. जिन महाविद्यालयों की स्थापना हुये 05 वर्ष से कम समय हुआ है वे महाविद्यालय रुपये 50,000/- अर्धदण्ड के साथ दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक नियुक्तियाँ करें।
2. जिन महाविद्यालयों की स्थापना हुये 05-10 वर्ष का समय हुआ है वे महाविद्यालय रुपये 1,00,000/- अर्धदण्ड के साथ दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक नियुक्तियाँ करें।
3. जिन महाविद्यालयों की स्थापना हुये 10 वर्ष से अधिक का समय हुआ है वे महाविद्यालय रुपये 1,50,000/- अर्धदण्ड के साथ दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक नियुक्तियाँ करें।

भवदीय
कुलसचिव